

मन्शा बनाम श्यांपाल (दावा)

11/6/25 पत्तावली पेश हुई। वकील वादी अनुपात्तित है। पत्तावली पूर्व आदेश अनुसार दिनांक 16/7/25 को पेश हो।

17/7/25 पत्तावली पेश हुई। वकील वादी अनुपात्तित है। प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित है। तहसीलदा रिपोर्ट इन्तजार पत्तावली दिनांक 20/8/2025 को पेश हो।

20/8/25 आज PO साहब अन्य काम में/मीटिंग/दौरे पर/बार द्वारा कार्यस्थगित होने से आता पेशी दी गई। गत आदेशों की पालना में दिनांक 20/8/25 को पेश हो।

30/8/25 पत्तावली पेश हुई। वादीगण व प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता अनुपात्तित है। वादीगण व वादीगण के अधिवक्ता गत 2 तारीख पेशी पर भी अनुपात्तित रहे हैं। अतः वादीगण व वादीगण के अधिवक्ता को न्यायालय में जाए-बार कक-कककर आवाज दिलवाई गई, परन्तु कोई भी न्यायालय समय तक न्यायालय में उपस्थित नहीं आये। अतः वादीगण का वाद आदेश 9 नियम 3 के अन्तर्गत अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रकरण के लल सुमा होकर नम्बर से काम हो तथा पत्तर वाकिल हो।


उपखण्ड अधिकारी
मुंबई